न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 119/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रागाराम गोद पुत्र रूडाराम फौत के वारीसान 1 मरेमादेवी पत्नी प्रागाराम 2 पुंजाराम पुत्र प्रागाराम 3 हरचन्दराम पुत्र प्रागाराम 4 आम्बाराम पुत्र प्रागाराम 5 दजाराम पुत्र प्रागाराम 6 गणेशाराम पुत्र प्रागाराम जातियान–कलबी, निवासीगण कारोला, तहसील–सांचौर		1 खेमाराम पुत्र तेजाराम 2 जेसाराम पुत्र तेजाराम 3 नरपत पुत्र तेजाराम 4 जवति पत्नी तेजाराम 5 ओखाराम पुत्र मालाराम 6 पना पुत्र टीकमा 7 होथी पुत्र टीकमा 8 परखा पुत्र टीकमा 9 सांवला पुत्र टीकमा 10 राजु पुत्र टीकमा 11 तलसी बेवा टीकमा जातियान–कलबी, निवासीगण–कारोला 12 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर 13 शाखा प्रबन्धक जालोर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 शाखा सांचौर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. वादीगण वकील श्री अधिवक्ता वादीगण श्री सगताराम चौधरी
2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 4 व 12 का जवाब बन्द
3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 13.05.2024

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कारोला में खेत खसरा नंबर 498 रकबा 3.21 है, खसरा नंबर 499 रकबा 2.80 है, खसरा नंबर 500 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 501 रकबा 4.35 है, खसरा नंबर 562 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 567 रकबा 0.12 है, खसरा नंबर 568 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 569 रकबा 1.26 है, खसरा नंबर 570 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 571 रकबा 2.08 है, खसरा नंबर 572 रकबा 3.35 है, खसरा नंबर 1774 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1775 रकबा 0.45 है, खसरा नंबर 1776 रकबा 1.16 है, खसरा नंबर 1777 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1887 रकबा 2.80 है, खसरा नंबर 1888 रकबा 1.84 है, खसरा नंबर 1889 रकबा 1.65 है, खसरा नंबर 1890 रकबा 1.80 है, खसरा नंबर 1891 रकबा 1.95 है, खसरा नंबर 1894 रकबा 0.86 है, कुल खसरे 21 कुल रकबा 32.90 हैक्टेयर के आये हुए है जिनका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती रूप में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है लेकिन मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त है। वादीगण अपना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग करवाना चाहते है। चुंकि उपरोक्त सभी खेत राजस्व रेकर्ड में शामलाती है वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार बंटवाड़ा करने हेतु कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण हमैंशा टालम टोली करते रहते है। इस कारण वादी को उपरोक्त खेतों बाबत लोन लेने एवं अन्य कार्य करने बाबत् परेशानियां होती है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौके पर निम्न प्रकार से करीब 35 वर्षों पूर्व बंटवाड़ा किया जा चुका है। वादीगण के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है। खसरा नंबर 498 रकबा 3.17 है, खसरा नंबर

1774 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1775 रकबा 0.45 है, खसरा नंबर 1777 रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 572 रकबा 2.60 है, खसरा नंबर 1890 रकबा 1.77 है, खसरा नंबर 1887 रकबा 0.80 है, खसरा नंबर 1894 रकबा 0.28 है, कुल खसरे 8 कुल रकबा 11.02 हैक्टेयर जो नक्शा ट्रैस में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण खेमा, जैसा, नरपत, जवति के बंट में रखे गये खेत निम्न है खसरा संख्या 1776 रकबा 1.16 है, खसरा नंबर 1777 में से रकबा 1.15 है, खसरा नंबर 499 में से रकबा 2.76 है, खसरा नंबर 571 में से रकबा 2.08 है, खसरा नंबर 570 में से रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 1889 में से रकबा 1.65 है, खसरा नंबर 1887 में से 1.46 है, खसरा नंबर 1894 में से रकबा 0.38 है, कुल खसरे 8 रकबा 10.69 हैक्टेयर नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है। प्रतिवादी ओखाराम के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है। खसरा संख्या 501 रकबा 2.13 है, खसरा नंबर 569 रकबा 1.26 है, खसरा नंबर 562 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 1891 में से रकबा 1.92 है, खसरा नंबर 1887 में से रकबा 0.14 है कुल खसरे 5 कुल 5.00 हैक्टेयर नक्शे में वर्णित काले रंग का हिस्सा है। प्रतिवादीगण पन्ना, हौथी, परखा, सावंला, राजू, तलसी के बंट में रखे गये खेत निम्न प्रकार है खसरा नंबर 501 में से रकबा 2.14 है, खसरा नंबर 500 में से रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 567 पुरा रकबा 0.12 है, खसरा नंबर 568 पुरा रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 572 में से 0.75 है, खसरा नंबर 1894 में से 0.20 है, खसरा नंबर 1887 में से रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 1888 पुरा रकबा 1.84 है, कुल रकबा 5.47 हैक्टैयर जो नक्शा ट्रैस में पीले रंग से दर्शाया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेतो में आने जाने हेतु सामलाती रास्ते की भूमि खसरा नंबर 501 रकबा 0.08 है, खसरा नंबर 498 रकबा 0.04 है, खसरा नंबर 499 रकबा 0.04 है, खसरा नंबर 1891 रकबा 0.03 है कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर जो नक्शे में गुलाबी रंग रास्ते हेतु है उपरोक्त प्रकार मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त है। चुंकि उपरोक्त सभी खेत राजस्व रेकर्ड मे सामलाती है लेकिन मौक पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा किया हुआ है। प्रतिवादीगण खेमाराम, जैसाराम, नरपत व जवति वादीगण को हमेशा धमकियां देते है कि हम हमारी इच्छानुसार किसी भी खसरे में से भूमि बैचान कर देंगे क्योकि हर खसरे में हमारा नाम दर्ज है और यदि प्रतिवादीगण इस प्रकार बिना बंटवाड़ा किये भूमि बैचान कर देते है तो वादीगण को विभिन्न प्रकार के मुकदमात में उलझना पड़ेगा जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी ऐसी सुरत में उपरोक्त खेतो का बैचान प्रतिवादीगण अजनबी क्रेता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करे। इस बाबत तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादीगण खेमाराम व जैसाराम दिनांक 17.04.2012 को अजनबी व्यक्तियों को लाकर वादीगण के हिस्से की भूमि बताने लगा तो वादी ने कहा कि यह भूमि हमारे बंट की है हम इस पर काबिज है आप यह जमीन नही बैच सकते तब प्रतिवादीगण ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज है अतः हम बैचान हेतु स्वतंत्र है। चुंकि वादी ने अपने हिस्से की भूमि को दिन रात मेहनत कर उपजाउ बनाया है एवं मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा हुए करीब 35 वर्ष हो गये है। वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वादीगण का हिस्सा किमती हो गया है क्योंकि वादीगण ने लगातार खाद बिज वगेरा डालकर उपजाउ बना दिया है और यदि वादीगण के हिस्से को प्रतिवादीगण बैचान कर देते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जबकि प्रथम दृष्टि में केस एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं वादीगण के हिस्से के खेतों को हस्तान्तरित नहीं करे। इसलिए यह वाद प्रस्तत किया।

Ghn

2. यह प्रकार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये तब दिनांक 17.05.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जरिये वकील श्री लाधुसिंह चौहान ने वकलातनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 व 13 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 12 ने जवाब हेतु समय चाहते पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं रकने पर दिनों 18.04.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जवाब बन्द किया तथा प्रतिवादी संख्या 12 का दिनांक 12.06.2019 को जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1 आया खेत खसरा नंबर 498 रकबा 3.21 है, खसरा नंबर 499 रकबा 2.80 है, खसरा नंबर 500 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 501 रकबा 4.35 है, खसरा नंबर 562 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 567 रकबा 0.12 है, खसरा नंबर 568 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 569 रकबा 1.26 है, खसरा नंबर 570 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 571 रकबा 2.08 है, खसरा नंबर 572 रकबा 3.35 है, खसरा नंबर 1774 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1775 रकबा 0.45 है, खसरा नंबर 1776 रकबा 1.16 है, खसरा नंबर 1777 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1887 रकबा 2.80 है, खसरा नंबर 1888 रकबा 1.84 है, खसरा नंबर 1899 रकबा 1.65 है, खसरा नंबर 1890 रकबा 1.80 है, खसरा नंबर 1891 रकबा 1.95 है, खसरा नंबर 1894 रकबा 0.86 है, कुल रकबा 32.90 है सरहद मौजा कारोला में वादीगण का 1/3 हिस्सा पैतृक संपति का है जिसका बंटवाड़ा वाद प्रस्तुत के 35 वर्ष पूर्व कर दिया था, बंटवाड़ा माफिक वादीगण के बंट में खसरा नंबर 498 रकबा 3.17 है, खसरा नंबर 1774 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1775 रकबा 0.45 है, खसरा नंबर 1777 रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 572 रकबा 2.60 है, खसरा नंबर 1890 रकबा 1.77 है, खसरा नंबर 1887 रकबा 0.80 है, खसरा नंबर 1894 रकबा 0.28 है कुल रकबा 11.02 हैक्टेयर भूमि पतली मोली होने से वादीगण इसी माफिक बंटवाड़ा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है।

2 आया वादीगण के बंटसुदा खेत खसरा नंबर 498 रकबा 3.17 है, खसरा नंबर 1774 रकबा 1.55 है, खसरा नंबर 1775 रकबा 0.45 है, खसरा नंबर 1777 रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 572 रकबा 2.60 है, खसरा नंबर 1890 रकबा 1.77 है, खसरा नंबर 1887 रकबा 0.80 है, खसरा नंबर 1894 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 11.02 है बाबत् वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने के मुश्तहक है।

3 दादरसी क्या हो।

उपरोक्त तनकीयात में से तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के जिम्में रखी गयी जिसको साबित करने के लिए वादीगण की ओर से गवाह पी0डब्लु0 1 पुंजाराम पी0डब्लु0 2 भूराराम, पी0डब्लु0 3 तेजसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एक जमाबंदी प्रदर्श 2 नक्शा ट्रैस प्रदर्श 3 नजरी नक्शा प्रदर्शित करवाये गये। प्रदर्श 1 जमाबंदी खतौनी है जिसमें खातेदार के तौर पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। प्रदर्श 3 में अलग–अलग रंगो से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से को बताये गये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाबदावा बन्द किया व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई।

3. वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेनद किया।

4. चुंकि इस प्रकरण में तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के जिम्मे थी तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है

:– तनकी संख्या 01 :–

इस तनकी को साबित करने के लिए वादीगण की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पदर्श 1, 2, 3 दस्तावेज में पेश किये तथा वादीगण की ओर से पेश गवाह पी0डब्लु 1 पुंजाराम अपने बयानों में कथन किया है कि मैं ग्राम कारोला का निवासी हुं वादीगण तथा प्रतिवादीगण भी कारोला के निवासीगण है। हमारे पैतृक संपति के खेत ग्राम कारोला में आये हुए है जो करीब 203 बीघा है मेरे पिता का नाम प्रागाराम है मेरे पिता रूडा पुत्र रतना के गोद गये हुए है 203 बीघा में हमारा तीसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से अनुसार हमारे बंट में करीब 68 बीघा जमीन आती है। 203 बीघा में पीथा के गोद पुत्र तेजा का 1/3 हिस्सा है जिसके वारीसान प्रतिवादीगण 1 ता 4 है। शेष 1/3 हिस्सा माला के गोद पुत्र ओखा का है जिसके वारीसान पन्ना, होथी, परखा, सावंला व राजू है। मौके पर हमारे बंटवाड़ा किया हुआ है। प्रतिवादी ने सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवाया इसलिए दावा किया है। हमारे बंट के खेतों को नक्शा ट्रैस में लाल रंग से दर्शाया है। लाल रंग के अलावा शेष खेत प्रतिवादीगण के बंट के है। हमारे खेतों की जमाबंदी ईएक्सपी–1 नक्शा ट्रैश की नकल ईएक्सपी–2 है, हमारे बंट को रंगो से दर्शाया है जिसकी नकल ईएक्सपी–3 है। ईएक्सपी–3 माफिक हम बंटवाड़ा करना चाहते है। पी0डब्लु2 गवाह भूराराम ने कथन किया कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को जानता हुं। इनके खातेदारी के खेत ग्राम कारोला में करीब 203 बीघा आये हुए है। 203 बीघा में 1/3 हिस्सा वादीगण पुंजा, हरचन्द, आंबाराम, दजाराम, गणेशाराम का है। 1/3 हिस्सा तेजा के वारीसान का है तथा 1/3 हिस्सा माला व तिकमा के वारीसान का है। इनके मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है। वादीगण के बंट में 68 बीघा जमीन आई है। जिसमें वादीगण की रहवासीय ढाणीयां, बेरे बने हुए है। वादीगण व प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्त करते है। नक्शा प्रदर्श 3 में वर्णित लाल रंग का हिस्सा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। मेरे खेत इनके खेतो सेढा सेढ आये हुए है। जब मैं मेरे खेत में काश्त करने जाता हुं तो इनको भी अलग–अलग काश्त करते देखता हुं। पी0डब्लु3 तेजसिंह ने अपने ब्यानों में कथन किया कि मैं कारोला का निवासी हुं। मेरे कारोला में खातेदारी के खेत आये हुए है मेरे पड़ौस में वादीगण के भी खेत आये हुए है। वादीगण व प्रतिवादीगण के कारोला में कुल 203 बीघा जमीन है। जिसमें 1/3 हिस्सा वादीगण का, 1/3 हिस्सा तेजा गोद पीथा का व 1/3 हिस्सा ओखा, माला व तिकमा के पुत्रों का है। इनके अलग–अलग बंटवाड़ा किया हुआ है। वादीगण का कब्जा काश्त 68 बीघा पर है। वादीगण के बंट के खेतों में इनकी रहवासीय ढाणीया, बेरे बने हुए है। नक्शा प्रदर्श 3 में वर्णित लाल रंग का हिस्सा वादीगण के बंट का है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 को वादीगण ने दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य से साबित किया गया है। इसके प्रतिकार में पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से न तो जवाबदावा पेश किया है तथा न ही कोई साक्ष्य पेश की है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

:– तनकी संख्या 02 :–

उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीगण पर होने से इस संबंध वादीगण के बंटसुदा खेत खसरा संख्या 498 रकबा 3.17 है, खसरा संख्या 1774 रकबा 1.55 है, खसरा संख्या 1775 रकबा 0.45 है, खसरा संख्या 1777 रकबा 0.40 है, खसरा संख्या 572 रकबा 2.60 है, खसरा संख्या 1890 रकबा 1. 77 है, खसरा संख्या 1887 रकबा 0.80 है, खसरा संख्या 1894 रकबा 0.28 है जूमले रकबा 11.02 हैक्टेयर में वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है इस संबंध में तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश प्राथमिक डिक्री की पालना दिनांक 09.04.2024 में वादी प्रागाराम गोद पुत्र रूड़ाराम (फौत) के वारिसान मरेमादेवी पत्नी प्रागाराम, पूंजाराम, हरचन्दराम, आम्बाराम, दजाराम, गणेशाराम पिसरान प्रागाराम के खसरा संख्या 498 मे से 3.13 है, 372 में से 2.

23 है, 1890 में से 1.77 है, खसरा संख्या 1887 में से 1.10 है, खसरा संख्या 1894 में से 0.30 है, खसरा संख्या 1777 में से 1.55 है, खसरा संख्या 1774 में से 0.82 है, जूमले रकबा 10.90 है भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना साबित है अतः तनकी संख्या 2 वादीगण अपने पक्ष में करने में सफल रहने से तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी जाकर तहसीलदार सांचौर से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2024/1306 दिनांक 09.04.2024 को प्राथमिक डिकी पालना न्यायालय में पेश की। उक्त पी.डी पालना पर उभयपक्षकारान् को सुना गया, कोई आपति जाहिर नहीं की, जिस पर उक्त पी.डी. पालना स्वीकार की जाती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:— आदेश :—

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसके संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2024/1306 दिनांक 09.04.2024 को प्राथमिक डिकी की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। निर्णय की पालना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया गया। माफिक प्राथमिक डिकी प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 के 21 के अनुसार प्रत्येक खातेदार का निम्न हिस्सा बनता है।

उपरोक्त पक्षकरों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :—

1.

क्रं सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	प्रागाराम गोद पुत्र रूडाराम फौत के वारीसान मरेमादेवी पत्नी प्रागाराम, पूंजाराम, हरचन्दराम, आम्बाराम दजाराम, गणेशाराम पि. प्रागाराम जातियान—रेबारी, निवासी—कारोला खातेदार	498 में से 572 में से 1890 में से 1887 में से 1894 में से 1777 में से 1774 में से	3.13 है 2.23 है 1.77 है 1.10 है 0.30 है 1.55 है 0.82 है
		कुल खसरा 07	10.90 हैक्टैयर

2

क्रं सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
2.	खेमाराम, जेसाराम, नरपत पि0 तेजाराम जवति पत्नी तेजाराम, जाति—कलबी, निवासी—कारोला खातेदार	499 में से 570 571	2.79 है 0.05 है 2.08 है

		1889 में से 1887 में से 1894 में से 1775 में से 1776 में से 1774 में से	1.65 है 1.70 है 0.29 है 0.45 है 1.16 है 0.73 है
		कुल खसरा 09	10.90 हैक्टैयर

3

क्रं सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
3.	ओखाराम गोद पुत्र मालाराम, जाति–कलबी निवासी–कारोला	501 में से 569 में से 562 में से 1891 में से	2.22 है 1.26 है 0.05 है 1.92 है
		कुल खसरा 04	5.45 हैक्टैयर

4

क्रं सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
4.	ओखाराम, पनाराम, होथीराम, परखाराम, सावंलाराम, राजुराम पि0 टिकमाराम, तलसीदेवी पत्नी टिकमाराम, जाति–कलबी निवासी–कारोला	501 में से 500 567 568 572 में से 1888 1894	2.08 है 0.01 है 0.12 है 0.01 है 1.12 है 1.84 है 0.27 है
		कुल खसरा 07	5.45 हैक्टैयर

5.

क्रं सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	मरेमा देवी पत्नी प्रागाराम, पुंजाराम, हरचंदराम, आम्बाराम, दजाराम, गणेशाराम पिता प्रागाराम, खेमाराम, जैसाराम, नरपत पिता तेजाराम, जवति पत्नी तेजाराम, ओखाराम, पन्नाराम, होतीराम, परखाराम, सावंलाराम, राजुराम पिता टिकमाराम, तलसी	498 में से 1890 में से 499 में से 501 में से 1891 में से	0.08 है 0.03 है 0.01 है 0.05 है 0.03 है

	पत्नी टिकमाराम, जातियान–कलबी, निवासी–कारोला ओखाराम, गोदपुत्र मालाराम, जाति–कलबी, निवासी–कारोला		
		कुल खसरा 05	0.20 हैक्टैयर

इस प्रकार पक्षकारान् को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा कर नक्शे में अलग–अलग रंग भरकर दर्शाये है जिसके अनुसार वादीगण प्रागा गोद पुत्र रूड़ाराम के वारीसान मरेमादेवी पत्नी प्रागाराम, पुंजाराम, हरचन्दराम, आम्बाराम, दजाराम, गणेशाराम पिता प्रागाराम का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाड़े में हरे रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 खेमाराम, जैसाराम, नरपत पिता तैजाराम, जवती पत्नी तेजाराम का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाड़े में आसमानी रंग से दशार्या गया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 11 ओखाराम, पन्नाराम, होथीराम, परखाराम, सावंलाराम, राजुराम पिता टिकमाराम, तलसी देवी पत्नी टिकमाराम, का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाड़े में भूरे रंग से दर्शाया गया है तथा ओखाराम गौदपुत्र मालाराम का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाड़े में काले रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार खातेदार मरेमादेवी पत्नी प्रागाराम, पुंजाराम, हरचन्दराम, आम्बाराम, दजाराम, गणेशाराम पिता प्रागाराम, खेमाराम, जैसाराम, नरपत पिता तैजाराम, जवति पत्नी तेजाराम, ओखाराम, पन्नाराम, हौथीराम, परखाराम, सावंलाराम, राजुराम पिता टिकमाराम, तलसी देवी पत्नी टीकमाराम, ओखाराम गौदपुत्र मालाराम, जातियान–कलबी, निवासीगण–कारोला (शामलाती रास्ता प्रयोजनार्थ) हेतु 0.20 हैक्टेयर भूमि जो लाल रंग से दर्शायी गई है।

अतः तहसीलदार सांचौर को निर्णय (अंतिम डिक्री) की प्रति मय नक्शा प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार खातेदारान् के हिस्से की आराजी का नक्शा लटठा में अमलदरामद कर तथा पृथक–पृथक खाते में दर्ज कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रमोद कुमार **RAS**)
सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर